



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

पत्रांक: 34/2020-21/भवन एवं स्थान आकलन समिति/293

दिनांक : 01 सितंबर 2020

शुद्धि पत्र

विश्वविद्यालय के कार्यालयादेश क्रमांक 34/2020-21/भवन एवं स्थान आकलन समिति/271
दिनांक 25 अगस्त 2020 के क्रम संख्या 12 को निम्नानुसार जारी किया गया था -

क्र.सं.	भवन का नाम	कक्ष संख्या	कक्ष का प्रकार	वर्तमान उपयोगकर्ता का नाम	संयोजित/स्थानांतरित विद्यापीठ/विभाग/कार्यालय/कक्ष का नाम
12	अकादमिक भवन (भूतल)	112	महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र	डॉ. के बालराजू	विधि विद्यापीठ

उपर्युक्त के स्थान पर क्रम संख्या 12 को निम्नानुसार पढ़ा जाए -

क्र.सं.	भवन का नाम	कक्ष संख्या	कक्ष का प्रकार	वर्तमान उपयोगकर्ता का नाम	संयोजित/स्थानांतरित विद्यापीठ/विभाग/कार्यालय/कक्ष का नाम
12	अकादमिक भवन (भूतल)	112	महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र	अकादमिक संयोजक	अकादमिक संयोजक द्वारा रिक्त होने पर विधि विद्यापीठ द्वारा प्रयोग किया जायेगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ खान)
कार्यकारी कुलसचिव
01/09/2020

प्रतिलिपि :

- माननीय कुलपति की ओर सूचनार्थ
- वित्ताधिकारी
- समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्राध्यक्ष/कार्यालय
- प्रभारी, लीला (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) — 01/09/2020
- कुलसचिव कार्यालय
- संबंधित फाइल